कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो./2011–12/1129 दिनांकः 08/11/2011

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः– **देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना सम्बन्धी नियम, पात्रता, भुगतान प्रक्रिया तथा सत्र 2011–12 के लिए आवेदन के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की पालनार्थ राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्राओं को देय स्कूटी/प्रोत्साहन राशि संबंधी नियम, पात्रता/शर्तें, आवेदन प्रक्रिया, संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ आदि, विभाग के पत्रांक एफ23 ( )लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि. एवं प्रो.रा.यो. /2011–12/1184 दिनांकः 4–11–2011 द्वारा विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है । (प्रति संलग्न है)

आवेदन पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि संबंधी जानकारी भी विभाग के पत्रांक 1175 दिनांकः 3–11–2011 द्वारा विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

उल्लेखित दोनों पत्रों में विभाग की वेबसाईट टंकण की त्रुटिवशः http://www.collegeeducation.gov.in अंकित हो गई है । **अतः सही वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पढा जावे** तथा छात्राओं को सही वेबसाईट की जानकारी दी जावे, जिससे आवेदन पत्र डाउनलोड करने में परेशानी नहीं हो ।

एस.बी.बी.जे. बैंक खाता संख्या तथा पासबुक की फोटो प्रति प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं के लिए ही आवश्यक है, (स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं के लिए आवश्यक नहीं है) बैंक खाता संख्या तथा पासबुक की फोटो प्रति के अभाव में छात्राओं के आवेदन पत्र, छात्रा/महाविद्यालय स्तर पर नहीं रोके तथा न ही विलम्ब किये जावे । यह पूर्ति बाद में भी की जा सकती है । ऐसे शेष रहे खाता संख्या एवं फोटो प्रतियां दिनांकः 10–12–2011 तक आवश्यक रूप से भिजवायें ।

उल्लेखनीय है कि छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि **25–11–2011** तथा महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में जमा करवाने की अंतिम तिथि **30–11–2011** निर्धारित है ।

महाविद्यालय स्तर पर योजना से संबंधित पत्रादि (नियम, आवेदन पत्र) विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर अध्ययन किया जावे तथा योजना का छात्राओं में प्रचार–प्रसार किया जावे । यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई हकदार छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे ।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज0,
जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो./2011–12/1130-1141 दिनांकः 08/11/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं योजना की नियम/प्रकिया प्रति भिजवाने बाबत :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
6. संयुक्त निदेशक (देव.यो.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
9. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
10. संयुक्त निदेशक अकादमी/पी एण्ड सी/छात्रवृति, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
12. श्री देवर्षि जी को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज0,
जयपुर